

**आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर**

**श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष तथा**  
**श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष**  
**आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से**

**आ.अ.सं. 07/इंदौर/2021**

**निर्धारण वर्ष : 2009-10**

मे. महाकाल इंटरप्राइजेस, इंदौर	बनाम	अतिरिक्त आयकर आयुक्त, रेंज-3, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएओएफएम 4290 जे		

अपीलार्थी की ओर से :	श्री अनिल कमल गर्ग, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री पी.के.मित्रा, आयकर आयुक्त
सुनवाई तिथि :	08.11.2021
उद्घोषणा तिथि :	17.11.2021

**आदेश**

**श्री राजपाल यादव, उपाध्यक्ष द्वारा**

निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-III, इंदौर के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन आदेश दिनांक 15.05.2018 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. इस अपील की सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किया था । अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध में निदेश

दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के निवेदनों का खंडन नहीं किया ।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपील में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरणों के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आदेश पारित किया था, जो कि न्यायसंगत नहीं हैं । अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं । यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती हैं तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 17.11.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-  
(मनीष बोरड)  
लेखा सदस्य

हस्ता/-  
(राजपाल यादव)  
उपाध्यक्ष

दिनांक : 17.11.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल